

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

विनोद कुमार झा,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी समाहर्ता,
बिहार, पटना।

फैक्स/
ई-मेल ✓

पटना-15, दिनांक- 16-1-15

विषय :-

मुख्य शीर्ष 2029-भू राजस्व 104-सरकारी संपदाओं का प्रबन्ध-0001-राजस्व प्रशासन पर व्यय माँग संख्या-40 विपत्र कोड-एन 2029001040001 के अन्तर्गत 1301 कार्यालय व्यय मद में वित्तीय वर्ष 2014-15 में कुल 49,40,000 (उनचास लाख चालीस हजार) रूपया मात्र व्यय हेतु राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञाप संख्या-20 (8)/रा0 दिनांक-09.01.2015 के आलोक में बिहार राज्य शहरी क्षेत्र (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के वास भूमि रहित परिवारों के लिए) वास भूमि नीति, 2014 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनु0जाति/अनु0जनजाति के परिवारों के सर्वेक्षण कार्य हेतु कुल 49,40,000 (उनचास लाख चालीस हजार) रूपये मात्र निम्न रूप से जिलावार आवंटित की जाती है:-

क्र0	जिला का नाम	स्वीकृत राशि	आवंटित की जा रही राशि
1	2	3	4
1	पटना	520000	520000
2	नालन्दा	210000	210000
3	भोजपुर	200000	200000
4	बक्सर	100000	100000
5	कैमूर	70000	70000
6	रोहतास	200000	200000
7	गया	160000	160000
8	जहानाबाद	70000	70000
9	अरवल	50000	50000
10	औरंगाबाद	110000	110000
11	नवादा	90000	90000
12	भागलपुर	190000	190000
13	बाँका	40000	40000
14	मुजफ्फरपुर	160000	160000
15	सीतामढ़ी	130000	130000
16	वैशाली	110000	110000
17	पूर्वी चम्पारण	240000	240000
18	प0 चम्पारण	190000	190000
19	शिवहर	20000	20000
20	सारण	170000	170000
21	सीवान	90000	90000

22	गोपालगंज	110000	110000
23	दरभंगा	150000	150000
24	मधुबनी	110000	110000
25	समस्तीपुर	90000	90000
26	मुंगेर	170000	170000
27	बेगूसराय	210000	210000
28	खगड़िया	70000	70000
29	लखीसराय	70000	70000
30	शेखपुरा	70000	70000
31	जमूई	70000	70000
32	सहरसा	70000	70000
33	मधेपुरा	70000	70000
34	सुपौल	90000	90000
35	पूर्णियाँ	140000	140000
36	किशनगंज	90000	90000
37	कटिहार	120000	120000
38	अररिया	120000	120000
कुल—		49,40,000	49,40,000

(उनचास लाख चालीस हजार) रुपये मात्र ।

- उपर्युक्त राशि में वर्णित स्वीकृत्यादेश के आलोक में 11 नगर निगम के लिए एक लाख रुपये की दर से 11,00,000/- (ग्यारह लाख) रुपये, बेयालीस नगर परिषद् के लिए पचास हजार रुपये की दर से 21,00,000/- (एक्कीस लाख) रुपये तथा सतासी नगर पंचायत के लिए बीस हजार के रुपये की दर से 17,40,000/- (सतरह लाख चालीस हजार) रुपये मात्र सम्मिलित है।
- राशि की निकासी उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में की जायेगी।
- राशि की निकासी के समय विपत्र पर इकाई का कोड माँग संख्या एवं विपत्र कोड निश्चित रूप से अंकित किया जाय।
- राशि का आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 वि० (2)दिनांक-17.04.1998 एवं पत्र संख्या-6720/वि० दिनांक-25.07.2014 के आलोक में किया जा रहा है।
- राशि की निकासी के बाद व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि के साथ अगले माह की 7वीं तारीख तक निश्चित रूप से भेज दी जाय।
- इसकी सूचना महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

(विनोद कुमार झा),
सरकार के अपर सचिव।